नीलाम की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, बिजनौर के मुख्यालय परिसर में स्थित **साईकिल, स्कूटर आदि के स्टैण्ड** के ठेके का सार्वजनिक नीलाम वित्तीय वर्ष **2025–2026** के लिए जनपद न्यायालय, बिजनौर के दस न्यायालय भवन में स्थित केन्द्रीय सभागार में **दिनांक 28–03–2025** को समय **सांय चार बजे** नीलाम समिति जनपद न्यायालय, बिजनौर के समक्ष किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति समय पर आकर बोली लगा सकते हैं। बोली बोलने से पूर्व लगाने वाले व्यक्ति को अंकन एक लाख रुपये जमानत के रूप में जमा करने होंगे।

नीलाम की शर्तें

1. यह कि साईकिल, स्कूटर आदि के स्टैण्ड के ठेके की सरकारी बोली अंकन 7,29,300/–(सात लाख उनतीस हजार तीन सौ रुपये मात्र) रुपये होगी।
2. यह कि ठेकेदार को स्टैण्ड का रख–रखाव स्वयं करना होगा तथा स्टैण्ड पर किसी भी प्रकार से कोई गंदगी कारित नहीं की जायेगी।
3. जनपद न्यायालय के स्टाफ, अधिवक्तागण एवं उनके मोहर्रिर से मासिक पास जारी करके साईकिल के लिए पन्द्रह रुपये प्रति माह, स्कूटर व मोटर साईकिल के लिए तीस रुपये प्रतिमाह तथा कार के लिए पचास रुपये प्रति माह ठेकेदार वसूल करेगा।
4. वाहन की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा।
5. अधिकतम बोली दाता के द्वारा नीलाम की धनराशि का आधा भाग तुरन्त जमा करना होगा। जमा न करने की दशा में अग्रिम जमानत की धनराशि जब्त हो जायेगी।
6. ठेकेदार को नीलाम की अवशेष धनराशि दो समान किश्तों में क्रमशः दिनांक 30–09–2025 को एवं 31–12–2025 को जमा करनी होगी। यदि उक्त धनराशि समयावधि के अंतर्गत जमा नहीं की जाती है तो इस अवशेष धनराशि की वसूली भू–राजस्व के रूप में की जायेगी तथा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
7. बोली बोलने वाले प्रत्येक आवेदक को पचास हजार रुपये जमानत की राशि अग्रिम रूप से जमा करनी होगी जो कि ठेके की राशि में समयोजित हो जायेगी।
8. ठेकेदार स्टैण्ड को किसी अन्य उप–ठेकेदार को नहीं देगा।
9. अधिकतम बोली माननीय जनपद न्यायाधीश, बिजनौर के अनुमोदन के बाद ही स्वीकृत मानी जायेगी।
10. बोली दाता जिसकी बोली स्वीकार की जायेगी उसको अपना एक नया फोटो एवं आई0डी0 नीलाम समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
11. ठेकेदार किराये की रेट लिस्ट स्टैण्ड पर लगायेगा, जो जनता को दृष्टिगोचर होनी चाहिए।

दिनांक 21–03–2025

21.3.2025

(राम अवतार यादव)
अध्यक्ष नीलाम समिति
अपर जिला जज, कोर्ट
सं0–1,बिजनौर।

नीलाम की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, बिजनौर के मुख्यालय परिसर में स्थित **फोटो स्टेट मशीन की अस्थाई दुकान के ठेके** का सार्वजनिक नीलाम वित्तीय वर्ष **2025–2026** के लिए जनपद न्यायालय, बिजनौर के दस न्यायालय भवन में स्थित केन्द्रीय सभागार में दिनांक **28–03–2025** को समय **सांय चार बजे** नीलाम समिति जनपद न्यायालय, बिजनौर के समक्ष किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति समय पर आकर बोली लगा सकते हैं। बोली बोलने से पूर्व लगाने वाले व्यक्ति को अंकन एक लाख रुपये जमानत के रूप में जमा करने होंगे।

नीलाम की शर्तें

1. यह कि फोटो स्टेट मशीन की अस्थाई दुकान के ठेके की सरकारी बोली अंकन 8,27,200/–(आठ लाख सत्ताइस हजार दो सौ रुपये मात्र) रुपये होगी।
2. अधिकतम बोली माननीय जनपद न्यायाधीश, बिजनौर के अनुमोदन के बाद ही स्वीकृत मानी जायेगी।
3. अधिकतम बोली दाता के हक में नीलाम छोड़ा जायेगा।
4. अधिकतम बोली दाता के द्वारा नीलाम की धनराशि का आधा भाग तुरन्त जमा करना होगा। जमा न करने की दशा में अग्रिम जमानत की धनराशि जब्त हो जायेगी।
5. ठेकेदार को नीलाम की अवशेष धनराशि दो समान किश्तों में कमशः दिनांक 30–09–2025 को एवं 31–12–2025 को जमा करनी होगी। यदि उक्त धनराशि समयावधि के अंतर्गत जमा नहीं की जाती है तो इस अवशेष धनराशि की वसूली भू–राजस्व के रूप में की जायेगी तथा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
6. जिस स्थान पर इस समय फोटो स्टेट मशीन का ठेका चल रहा है उसी पर अधिकतम बोली दाता को फोटो स्टेट मशीन अपनी अस्थाई दुकान निर्मित कर चलानी होगी।
7. ठेकेदार दुकान के बाहर कूड़ा आदि एकत्रित नहीं करेगा। सफाई की व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करेगा। पानी व बिजली की व्यवस्था भी स्वयं करेगा।
8. ठेका अवधि के दौरान यदि कोई राजकीय क्षति होती है तो उसका ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
9. बोली बोलने वाले प्रत्येक आवेदक को दस हजार रुपये जमानत की राशि अग्रिम रूप से जमा करनी होगी जो कि ठेके की राशि में समयोजित हो जायेगी।
10. ठेकेदार फोटो स्टेट दुकान को किसी अन्य उप–ठेकेदार को नहीं देगा।
11. बोली दाता जिसकी बोली स्वीकार की जायेगी उसको अपना एक नया फोटो एवं आई0डी0 देनी होगी।

दिनांक 21–03–2025

(हस्ताक्षर) 21.3.2025

(राम अवतार यादव)
अध्यक्ष नीलाम समिति
अपर जिला जज, कोर्ट
सं0–1,बिजनौर।

<u>नीलाम की सूचना</u>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, बिजनौर के मुख्यालय
परिसर में स्थित **चाय व नाश्ते की कैन्टीन** का सार्वजनिक नीलाम **वित्तीय वर्ष 2025–2026** के लिए
जनपद न्यायालय, बिजनौर के दस न्यायालय भवन में स्थित केन्द्रीय सभागार में **दिनांक**
28–03–2025 को समय **सांय चार बजे** नीलाम समिति जनपद न्यायालय, बिजनौर के समक्ष किया
जायेगा। इच्छुक व्यक्ति समय पर आकर बोली लगा सकते हैं। बोली बोलने से पूर्व लगाने वाले
व्यक्ति को अंकन एक लाख रुपये जमानत के रूप में जमा करने होंगे।

<u>नीलाम की शर्तें</u>

1. यह कि कैन्टीन की सरकारी बोली अंकन 11,11,000/–(ग्यारह लाख ग्यारह हजार रुपये मात्र) रुपये होगी।
2. अधिकतम बोली माननीय जनपद न्यायाधीश, बिजनौर के अनुमोदन के बाद ही स्वीकृत मानी जायेगी।
3. अधिकतम बोली दाता के हक में नीलाम छोड़ा जायेगा।
4. अधिकतम बोली दाता के द्वारा नीलाम की धनराशि का आधा भाग तुरन्त जमा करना होगा। जमा न करने की दशा में अग्रिम जमानत की धनराशि जब्त हो जायेगी।
5. ठेकेदार को नीलाम की अवशेष धनराशि दो समान किश्तों में क्रमशः दिनांक 30–09–2025 को एवं 31–12–2025 को जमा करनी होगी। यदि उक्त धनराशि समयावधि के अंतर्गत जमा नहीं की जाती है तो इस अवशेष धनराशि की वसूली भू–राजस्व के रूप में की जायेगी तथा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
6. ठेकेदार को प्रत्येक सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री/बासी सामान नहीं बेचा जायेगा, अन्यथा उसके विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर कानूनी कार्यवाही करके उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
7. ठेकेदार कैन्टीन प्रत्येक कार्य दिवस को तथा लोक अदालत के आयोजन के दिवस में भी खोलेगा।
8. ठेकेदार कैन्टीन के बाहर कूड़ा आदि एकत्रित नहीं करेगा। सफाई की व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करेगा। पानी व बिजली की व्यवस्था भी स्वयं करेगा।
9. ठेका अवधि के दौरान यदि कोई राजकीय क्षति होती है तो उसका ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
10. ठेकेदार किसी प्रकार के तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान आदि नहीं बेचेगा। यदि बेचते हुए पाया गया तो उसका ठेका निरस्त करके कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
11. बोली बोलने वाले प्रत्येक आवेदक को पचास हजार रुपये जमानत की राशि अग्रिम रूप से जमा करनी होगी जो कि ठेके की राशि में समयोजित हो जायेगी।
12. ठेकेदार कैन्टीन को किसी अन्य उप–ठेकेदार को नहीं देगा।
13. बोली दाता जिसकी बोली स्वीकार की जायेगी उसको अपना एक नया फोटो एवं आई0डी0 देनी होगी।

दिनांक 21–03–2025

(हस्ताक्षर) 21.3.2025
(राम अवतार यादव)
अध्यक्ष नीलाम समिति
अपर जिला जज, कोर्ट
सं0 1 बिजनौर।

नीलाम की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिए जनपद न्यायालय बिजनौर में स्थित निम्नलिखित ठेकों का नीलाम केन्द्रीय सभागार में दिनांक 28–03–2025 को सांय चार बजे किया जायेगा। नीलाम की शर्तें एवं अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को प्रातः दस बजे से सांय पांच बजे के मध्य केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय बिजनौर तथा जनपद न्यायालय की बेवसाइट **ecourts.gov.in/bijnor** पर प्राप्त की जा सकती है। नीलाम में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति नियत समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर कार्यवाही नीलाम में भाग ले सकते है।

नीलाम में भाग लेने वाले व्यक्ति पहचान पत्र एवं पासपोर्ट साइज का अपना नवीनतम फोटो साथ लाये।

नीलाम होने वाले ठेकों का विवरण।

1. कैन्टीन
2. फोटो स्टेट मशीन
3. साईकिल, स्कूटर आदि का स्टैण्ड
4. फल एवं जूस विकय ठेला

दिनांक 21–03–2025

21.3.2025
(राम अवतार यादव)
अध्यक्ष नीलाम समिति
अपर जिला जज, कोर्ट
सं0–1 बिजनौर।

नीलाम की सूचना निम्नलिखित स्थानों पर सर्वसाधारण को सूचित करने हेतु चस्पा की जाये :–

1. कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर।
2. कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, बिजनौर।
3. कार्यालय तहसील सदर, बिजनौर।
4. कार्यालय नगर पालिका परिषद, बिजनौर।
5. कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बिजनौर।
6. कार्यालय जिला सूचना अधिकारी को वास्ते प्रकाशन निःशुल्क स्थानीय समाचार पत्र।
7. सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर जनपद न्यायालय, बिजनौर को इस आशय के साथ प्रेषित की वह नीलाम की सूचना एवं शर्तें जनपद न्यायालय की बेवसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

21.3.2025
(राम अवतार यादव)
अध्यक्ष नीलाम समिति
अपर जिला जज, कोर्ट
सं0 1 बिजनौर।